



**न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डेगाना, न्यायक्षेत्र मेडता,  
जिला नागौर**

पीठासीन अधिकारी	—	राजेश्वर विश्नोई, आर.जे.एस.
दीवानी विविध प्रकरण संख्या	—	24 / 2020
सी. आई. एस. संख्या	—	24 / 2020
सी. एन. आर. संख्या	—	RJMR-16000048-2020

**प्रार्थी :-**

शिवलाल गोद पुत्र गोपीलाल, निवासी अलवास, तहसील डेगाना, जिला नागौर (राज.)।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :-**

1. गोपीलाल पुत्र रामलाल, निवासी अलवास, तहसील डेगाना, जिला नागौर राज. (फौत),
2. सन्तोष पुत्री गोपीलाल, पत्नी रामनिवास,
3. मुन्नी पुत्री गोपीलाल, पत्नी कैलाश,  
निवासीगण झगड़वास, तहसील डेगाना, जिला नागौर,
4. शिमला पुत्री गोपीलाल पत्नी प्रकाश, निवासी काणेचा, तहसील जैतारण जिला पाली,
5. दूर्गली पत्नी सांवरमल, निवासी निम्बोला कलां, तहसील डेगाना, जिला नागौर
6. तहसीलदार, डेगाना, जिला नागौर
7. उप पंजीयन अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर।

**प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.**

**सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

**उपस्थित :-**

1. श्री सहदेव प्रसाद स्वामी, विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री अजय सिंह राठौड़, विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 5
3. अप्रार्थी संख्या 4, 6 व 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।



-:: आदेश ::-

दिनांक :- 07.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपटित धारा 151 सी.पी.सी. का अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्राम अलवास तहसील डेगाना जिला नागौर का स्थायी निवासी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का दत्तक पिता है एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 प्रार्थी की बहनें हैं। उक्त प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 गोपीलाल दत्तक पिता के साथ रहवास करता है तथा हिन्दू संयुक्त परिवार का सदस्य है। उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 धर्म से हिन्दू है तथा मिताक्षर मत के अनुयायी है एवं बनारस स्कूल से गवर्न होते हैं। पुश्तैनी चल व अचल सम्पत्ति में प्रार्थी का हिन्दू परिवार की अविभक्त परिवार की भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा एवं अधिकार हैं। ग्राम साण्डास तहसील डेगाना के खेत खसरा नम्बर 117/147 रकबा 1.6600 हैक्टर पुराना खसरा नम्बर 201/110 रकबा 10.05 बीघा आया हुवा है। उक्त खसरा पूर्व में मूल खसरा 110 दर्ज था, जिसका कुल रकबा 69.05 बीघा दर्ज था, जिसमें प्रार्थी के दादा रामलाल का अन्य सहखातेदारान के साथ हिस्सा दर्ज था, जो बाद बंटवाड़ा अप्रार्थी संख्या 1 गोपीलाल के खसरा नम्बर 201/110 रकबा 10.05 बीघा भूमि बंट व हिस्से में आई, जो वर्तमान में खसरा नम्बर 117/147 रकबा 1.66 हैक्टर दर्ज है। बाल्यकाल में जब प्रार्थी मात्र तीन वर्ष का था, तब अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र नहीं होने से बतौर पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रहने लगा एवं तीन वर्ष की उम्र में आखातीज के दिन दत्तक होम किया जाकर गांव व समाज के मौतबीर व्यक्तियों के समक्ष मांगलिक गीत गाकर एवं गुड़ बांटकर गोद लेने एवं देने की प्रक्रिया प्राकृतिक माता एवं गोद माता-पिता ने सम्पन्न की व अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को गोद में बैठाकर माथे हाथ फेरकर अपना गोद पुत्र होना स्वीकार किया एवं उक्त गोद



का पंजीयन दिनांक 18.03.2014 को प्रार्थी की प्राकृतिक माता की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में गोदनामा दस्तावेज क्रम संख्या 2014000011 दिनांक 18.03.2014 को उप पंजीयक, डेगाना के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को गोद लेने एवं गोदनामा रजिस्टर्ड करवाने के पश्चात् प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार का सदस्य हो गया व प्रार्थना पत्र के पैरा नंबर 4 में वर्णित पुश्तैनी भूमि में संयुक्त अविभक्त परिवार का सदस्य होने से बतौर सहदायिक समान रूप से हकदार भी हो गया, जिससे उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1/5 में हित निहित हो गया तथा प्रत्येक परिवार के सदस्य प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का समान रूप से 1/5-1/5 हिस्सा उक्त भूमि में रहा एवं है। प्रार्थी बाल्यकाल से गोद के समय एवं गोद रजिस्टर्ड होने के वक्त एवं तत्पश्चात् आज दिनांक तक उक्त संयुक्त परिवार की अविभक्त भूमि पर संयुक्त सदस्य एवं सहदायिकी की हैसियत से पुश्तैनी जमीन पर काश्त एवं काबिज हुवा एवं है। उक्त भूमि का 1/5 हिस्से का हकदार प्रार्थी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 गोपीलाल जो प्रार्थी के गोद पिता है। उक्त गोपीलाल भी 1/5 हिस्से के हकदार कानूनन है, लेकिन उक्त अविभक्त भूमि होने से हिन्दू संयुक्त परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 11.06.2020 को रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज संख्या 202001177001330 अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में बिना कब्जा, बिना हक एवं बिना अधिकार के गैरकानूनी तरीके से उप पंजीयक कार्यालय डेगाना अप्रार्थी संख्या 7 के सक्षम निष्पादित एवं रजिस्टर्ड करवा दिया। उक्त बेचान दस्तावेज प्रार्थी के अधिकारों के 1/5 हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी, अवैध, एब-इनिशियॉ-वोर्ड है, जिसके निम्न आधार हैं :-

- यह है कि उक्त पुश्तैनी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा ही कानूनन निहित है, जिससे सम्पूर्ण बेचान करने का हक अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं था, जिससे बिना अधिकार किया गया बेचान अवैध है।



- यह है कि प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/5 हिस्से तक हित निहित है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को बेचान करने की सहमति कभी भी क्रेता एवं विक्रेता को नहीं दी है, जिससे उक्त बेचान दस्तावेज प्रार्थी के अधिकारों के प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी हैं।
- यह है कि उक्त बेचान की गई सम्पति पर संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त अविभक्त कुटुम्ब के सहदायिकी की हैसियत से कब्जा रहा है तथा प्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जा है, जिससे कब्जे के अभाव में विक्रेता अप्रार्थी संख्या 1 गोपीलाल को उक्त जमीन विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त बेचाननामा के समय क्रेता को कब्जा नहीं सौंपा गया है, जिससे उक्त बेचान एब—इनिशियो—वोर्ड हैं।
- यह है कि पुश्तैनी जमीन होने से विवादित भूमि को एक सहदायिकी द्वारा विक्रय किए जाने का अधिकार नहीं है, जिससे विक्रय अधिकार विहिन होने से क्रेता के पक्ष में उक्त विक्रयनामा के आधार पर किसी भी तरह कोई हक सृजित नहीं होते हैं, जिससे बेचान होना अवैध हैं।
- यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 गोपीलाल का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया जाना बताया है, जबकि गोपीलाल का उक्त जमीन में 1/5 हिस्सा है, जिससे भी विक्रयनामा अवैध एवं शून्य हैं।

उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी विवादित बेचाननामा को अपने अधिकारों के प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाकर अपने 1/5 हिस्से तक उक्त बेचाननामा को अवैध एवं शून्य घोषित करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा है, लेकिन अप्रार्थीगण सभी मिले हुवे हैं एवं प्रार्थी की उक्त जमीन को खुर्द—बुर्द करना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अन्य अप्रार्थी संख्या 2 ता 4



के सिखावे में है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके अधिकारो से वंचित करने के लिये आमामादा है एवं मुतनाजा भूमि पर से अवैध तरीके से बेदखल कर काबिज होना चाहते हैं, इसी आशय से उन्होंने अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में बेचाननामा अवैध तरीके से तकमील करवाया है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है एवं अगर अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी को बेदखल कर काबिज होते हैं एवं प्रार्थी को भारी असुविधा होगी। उक्त भूमि में प्रार्थी का बतौर सहदायिक आज दिन तक कब्जा है एवं पुश्तैनी उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि बतौर गोद पुत्र काश्त एवं कब्जा हक एवं अधिकार रखने का अधिकारी है एवं अविभक्त संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में संयुक्त कब्जा होने से क्रेता को बिना बंटवारा करवाये स्ट्रेन्जर पर्चेजर होने से कब्जा विशेष पर कब्जा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि है। प्रार्थी बाल्यकाल से गोद के समय एवं गोद रजिस्टर्ड होने के वक्त एवं तत्पश्चात आज दिनांक तक उक्त संयुक्त परिवार की अविभक्त भूमि पर संयुक्त सदस्य एवं सहदायिकी की हैसियत से पुश्तैनी जमीन पर काश्त एवं काबिज हुवा एवं है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना नाम खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि का अवैध फर्जी बेचान दस्तावेज सम्पूर्ण भूमि का अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में बिना कब्जा एवं बिना हक के तकमील करवा दिया है तथा अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 मिलकर उपरोक्त भूमि पर से प्रार्थी को मौके पर से बेदखल करने पर आमामाद है। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादे में सफल हो जाते हैं, तो प्रार्थी को बड़ी भारी अपूर्ण्य क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपयों पैसों में नहीं की जा सकेंगी। अनावश्यक मुकदमें बाजी को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रार्थी को भी अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति से महरूम होना पड़ेगा। अगर अप्रार्थीगण इस प्रकार की नाजायज हरकत नहीं करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से कोई क्षति होने की सम्भावना नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम साण्डास तहसील डेगाना के खेत



खसरा नम्बर 177/147 रकबा 1.6600 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार शांतिपूर्ण काश्त एवं कब्जे में तथा भूमि का सर्वप्रकार से भोग एवं उपभोग करने में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी एवं दस्तन्दाजी ना तो स्वयं करे, ना ही अन्यो से करावें तथा ना ही अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित अवैध बेचान दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि का आगे किसी भी प्रकार से बेचान, बक्षीस, रहन व हस्तान्तरण आदि करें तथा विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति व मौके की बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावें। अगर दौराने दावा अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से भूमि में रदोबदल कर देते या जबरन कब्जा कर लेते हैं, तो जरिये अस्थायी आज्ञात्मक व्यादेश के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन की स्थिति बहाल करवायी जाकर कब्जा जमीन प्रार्थी को दिलायी जावें।

2. अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 ने प्रार्थना-पत्र का जवाब, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी शिवलाल ने अप्रार्थी गोपीराम के साथ छल, कपट व धोखा करते हुवे गोदनामा का दस्तावेज दिनांक 18.03.2014 को तकमील करवा दिया, लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी गोपीलाल की कभी सेवा-सुश्रुषा नहीं की, न ही भरण-पोषण किया, न ही गोद पुत्र होने का दायित्व निर्वहन किया और न ही बीमारी में दवाइयां आदि दिलवाई, जिससे कानूनन प्रार्थी, अप्रार्थी का गोद पुत्र नहीं है। अप्रार्थी के तीन पुत्रियां संतान संतोष, मुन्नी, शिमला है, जो कानूनन अप्रार्थी सं. 1 की उत्तराधिकारी है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 का उत्तराधिकारी नहीं है, जिससे उसका इस जमीन में हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने परिवार का कर्जा उतारने व पोषण करने हेतु ग्राम साण्डास के खसरा नम्बर 177/147 का बेचान दिनांक 11.06.2020 अप्रार्थी सं. 5 दुर्गली को करके उसका कब्जा करवा दिया है, जो बेचान दस्तावेज तकमील करने का



अप्रार्थी सं. 1 को कानूनी अधिकार था, जो बेचान दस्तावेज विधि अनुसार सही है, जिसको निरस्त करवाने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। उक्त जमीन पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है, न ही प्रार्थी का हिस्सा है, जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थी स्वयं ने अप्रार्थी गोपीराम से ग्राम साण्डास के खसरा नम्बर 160/58 में से 1/2 हिस्से की बेचान रजिस्ट्री अपने हक में दिनांक 18.03.2014 को करवाई है, अगर प्रार्थी अप्रार्थी का गोद पुत्र होता, तो वो उक्त बेचान रजिस्ट्री नहीं करवाता व जमीन क्रय नहीं करता व गोपीराम को कीमत अदा नहीं करता, जिससे यह पूर्णतया साबित है कि प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 का गोद पुत्र नहीं है। प्रार्थी ने बेचान दस्तोवज निरस्त करवाने का जो दावा पेश किया है, उसकी मालियत 1,00,000/- वर्णित है, लेकिन प्रार्थी ने एक लाख रूपये की न्याय शुल्क अदालत में पेश नहीं दावा काबिल चलने के नहीं है, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। उक्त जमीन की अप्रार्थी सं. 05 सद्भाविक खरीददार है व क्रय करने के पश्चात से उसका काश्त कब्जा है, जिससे प्रार्थी का इस जमीन में हक, हिस्सा व अधिकार नहीं होने से दावा व प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। उक्त जमीन प्रार्थी की पुश्तैनी नहीं है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया गया।

3. तलबी होने के बावजूद तथा बावजूद आवाज उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के विरुद्ध दिनांक 10.08.2020 को तथा अप्रार्थी संख्या 4 के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. प्रार्थी को अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित वांछित अनुतोष को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित 3 बिंदुओं को अपने पक्ष में प्रमाणित करना आवश्यक है :-

- (1) प्रथम दृष्ट्या मामला
- (2) सुविधा का संतुलन
- (3) अपूर्णाय क्षति



5. उक्त तीनों बिन्दुओं के संबंध में बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त बिन्दुओं पर बिन्दुवार विवेचन इस प्रकार से है :-

**प्रथम दृष्ट्या मामला :-**

6. दौराने बहस वकील प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी गोपीलाल का गोदपुत्र है, जिसका विवादित संपत्ति में सहदायिकी का सदस्य होने से विवादित संपत्ति में 1/5 हिस्सा मौजूद था। उक्त अविभक्त भूमि होने से हिन्दू संयुक्त परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 11.06.2020 को रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में बिना कब्जा, बिना हक एवं बिना अधिकार के गैरकानूनी तरीके से उप पंजीयक कार्यालय डेगाना अप्रार्थी संख्या 7 के सक्षम निष्पादित एवं रजिस्टर्ड करवा दिया। उक्त बेचान दस्तावेज प्रार्थी के अधिकारों के 1/5 हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी, अवैध, एब-इनिशियों-वोर्ड है। उक्त बेचान की गई सम्पत्ति पर संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त अविभक्त कुटुम्ब के सहदायिकी की हैसियत से कब्जा रहा है तथा प्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जा है, जिससे कब्जे के अभाव में विक्रेता अप्रार्थी संख्या 1 गोपीलाल को उक्त जमीन विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त बेचाननामा के समय क्रेता को कब्जा नहीं सौंपा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 गोपीलाल का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया जाना बताया है, जबकि गोपीलाल का उक्त जमीन में 1/5 हिस्सा है, जिससे भी विक्रयनामा अवैध एवं शून्य हैं। उपरोक्त आधारों पर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में तय किए जाने का निवेदन किया गया।

7. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वकील अप्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी शिवलाल ने अप्रार्थी गोपीराम के साथ छल, कपट व धोखा



करते हुवे गोदनामा का दस्तावेज दिनांक 18.03.2014 को तकमील करवा दिया, लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी गोपीलाल की कभी सेवा—सुश्रुषा नहीं की, न ही भरण—पोषण किया, न ही गोद पुत्र होने का दायित्व निर्वहन किया और न ही बीमारी में दवाइयां आदि दिलवाई, जिससे कानूनन प्रार्थी, अप्रार्थी का गोद पुत्र नहीं है। अप्रार्थी के तीन पुत्रियां संतान संतोष, मुन्नी, शिमला है, जो कानूनन अप्रार्थी सं. 1 की उत्तराधिकारी है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 का उत्तराधिकारी नहीं है, जिससे उसका इस जमीन में हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने परिवार का कर्जा उतारने व पोषण करने हेतु ग्राम साण्डास के खसरा नम्बर 177/147 का बेचान दिनांक 11.06.2020 अप्रार्थी सं. 5 दुर्गली को करके उसका कब्जा करवा दिया है, जो बेचान दस्तावेज तकमील करने का अप्रार्थी सं. 1 को कानूनी अधिकार था, जो बेचान दस्तावेज विधि अनुसार सही है, जिसको निरस्त करवाने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के विरुद्ध तय किए जाने का निवेदन किया गया।

8. सुना गया एवं उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने विवादित संपत्ति में स्वयं को हिस्सेदार होना बताते हुए गोपीलाल द्वारा किए गए विक्रय को अवैध बताया है, जबकि अप्रार्थी का तर्क है कि गोपीलाल ने परिवार का कर्जा उतारने व भरण—पोषण के हेतु भूमि विक्रय की थी। उभयपक्षों के तर्क साक्ष्य का विषय है। इस स्तर पर अप्रार्थीगण के तर्क साक्ष्य के मोहताज है। यदि ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को आगे विक्रय किया जाता है, तो प्रकरण में पेचिदगियां उत्पन्न होगी तथा वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। उभयपक्षों के अभिवचन विचारण के दौरान साक्ष्य से ही साबित और नासाबित होंगे। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को आगे विक्रय न करने की हद तक प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।



**सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति :-**

9. उक्त दोनों बिंदु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में वकील प्रार्थी का तर्क है कि यदि विवादित भूमि को आगे विक्रय कर दिया जाता है, तो प्रार्थी को नुकसान होगा, जिसकी रूपयों में भरपाई नहीं हो पायेगी और प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ेगा एवं प्रार्थना पत्र लाने का मकसद समाप्त हो जाएगा। उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अप्रार्थीगण का तर्क रहा है कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियादी आरोप अप्रार्थीगण पर लगाये गये हैं। प्रार्थी द्वारा आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई असुविधा या क्षति कारित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के विरुद्ध तय किए जावें।
10. सुना गया एवं उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस स्तर पर यदि विवादित भूमि को आगे विक्रय कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रार्थी को भारी असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति का सामान करना पड़ेगा और प्रकरण में अनावश्यक कानूनी पैचीदगियां पैदा होगी तथा वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। यदि मूल वाद के निर्णय से पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण कर दिया गया, तो प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में धन के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः इस प्रक्रम पर प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किए जाते हैं।

**—:: आदेश ::—**

11. अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया



जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि के संबंध में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा न्यायालय की अनुमति के बिना विवादित भूमि आगे विक्रय नहीं करे।

(राजेश्वर विश्‍नोई)  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,  
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र

12. यह आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश्वर विश्‍नोई)  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,  
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र